

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ खंडपीठ****आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2211/2026**

विजय उर्फ दुर्गेश उर्फ भुल्लू

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, लखनऊ

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : श्री सचिन पाण्डेयविपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता
-----**न्यायालय संख्या - 13****माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अनुशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदक द्वारा, पुलिस थाना- रामगंज, जिला- अमेठी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 51/2025, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 115(2), 117(2), 351(3), एवं 351 के अंतर्गत दर्ज है, के वाद में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

3. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 14.05.2025 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 115(2), 352 और 351(3) के अंतर्गत वर्तमान आवेदक सहित चार नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि चारों अभियुक्तों द्वारा सूचनाकर्ता पर लाठी और डंडे से हमला किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वादी के सिर पर चोटें आईं। यह भी आरोप है कि वर्तमान आवेदक सहित अभियुक्तों ने वादी की पत्नी और एक अर्जुन नामक व्यक्ति पर भी हमला किया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि सभी अभियुक्तों को एक सामान्य भूमिका सौंपी गई है और वर्तमान आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि विवाद एक हैंडपंप से पानी बहने को लेकर उत्पन्न हुआ था, जो प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से भी स्पष्ट है। वर्तमान आवेदक से कोई बरामदगी नहीं हुई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्तों, अर्थात् अभिषेक कुमार और जंग बहादुर को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 71890/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। एक अन्य सह-अभियुक्त, अर्थात् पुती लाल को भी उपर्युक्त सह-अभियुक्तों के साथ समानता के आधार पर आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11760/2025 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2026 के माध्यम से जमानत प्रदान की गई है। दिनांक 16.01.2026 का आदेश नीचे उद्धृत है।

" 1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अनुशीलन किया गया।

2. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक द्वारा पुलिस थाना-रामगंज, जिला-अमेठी में दर्ज वाद अपराध संख्या 51/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 115(2), 117(2), 351(3) एवं 352 के अंतर्गत जमानत हेतु दाखिल किया गया है।

3. जमानत हेतु प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है।

4. यह कहा किया गया है कि सह-अभियुक्त अर्थात् अभिषेक कुमार और जंग बहादुर को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7189/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7189/2025 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2025 इस प्रकार है:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अनुशीलन किया गया।

2. प्रस्तुत प्रार्थनापत्र द्वारा आवेदकगण ने पुलिस थाना-रामगंज, जिला-अमेठी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 51/2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 115(2), 117(2), 351(3) एवं 352 के अंतर्गत जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है।

3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता तर्क देते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप लगाया गया था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सभी अभियुक्तों द्वारा वादी को पीटा गया था और जब परिवार के सदस्यों ने बीच-बचाव करने का प्रयास किया तो उन्हें भी पीटा गया जिसके परिणामस्वरूप वादी के सिर पर गंभीर चोटें आईं। तत्पश्चात उपचार के दौरान वादी की मृत्यु हो गई। शवपरीक्षण आख्या सिर पर नीलगू निशान, निचले होंठ और घुटने पर फटे हुए घाव, दाहिनी छाती और दाहिनी भुजा पर नीलगू निशान की उपस्थिति को दर्शाती है और बायां हाथ विस्थापित पाया गया। प्रत्यक्षदर्शी का बयान पत्रावली पर है जिसमें उसने कहा है कि हैंडपंप से पानी बहने के कारण एक मामूली विवाद उत्पन्न हुआ जिसके कारण कहासुनी हुई और अभियुक्तों ने सूचनाकर्ता को पीटा जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। आवेदकों को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई थी। आवेदकों से कोई बरामदगी नहीं हुई।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदकों को सौंपी गई सामान्य भूमिका पर विचार करते हुए, तथापि वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, आवेदक जो दिनांक 17.05.2025 और 05.06.2025 से जेल में हैं और जिन्होंने अपने आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है, जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। इसके दृष्टिगत, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. आवेदकगण अभिषेक कुमार और जंग बहादुर को उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 20,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

(क) आवेदकगण सुनवाई में उपस्थित होने का वचन देने के लिए एक बंधपत्र निष्पादित करेंगे;

(ख) आवेदकगण कोई ऐसा अपराध कारित नहीं करेंगे जो उस अपराध के समान हो जिसके वे अभियुक्त हैं या जिसके किए जाने का उन पर संदेह है; और

(ग) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. यह भी कहा किया गया है कि आवेदक, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दिनांक 05.06.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। यह भी तर्क दिया गया है कि ऐसी कोई आशंका नहीं है कि जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक विधि की प्रक्रिया से भाग सकता है या अन्यथा जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है और निकट भविष्य में विचारण के समापन की संभावना अत्यंत क्षीण है। इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे अभियुक्त-आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

7. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पत्रावली का अनुशीलन करते हुए और आरोपों की प्रकृति, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से संबंधित तर्क भी शामिल हैं, और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और निकट भविष्य में विचारण के समापन की संभावना को भी देखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त वाद पाता हूँ।

8. आवेदक-पुत्ती लाल को उपर्युक्त अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए तत्काल एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया जाता है, जिनमें से एक अभियुक्त-आवेदक के परिवार का सदस्य होना चाहिए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा"

6. उक्त जमानत आदेशों की प्रतियां वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र के अनुलग्नक संख्या 20 और 21 के रूप में पहले ही दाखिल की जा चुकी हैं। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है, विशेष रूप से सह-अभियुक्त अभिषेक कुमार, जंग बहादुर और पुत्ती लाल को दी गई जमानत के प्रकाश में क्योंकि उनके विरुद्ध भी समान आरोप लगाए गए थे और उन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 26.05.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी तर्क दिया गया है कि रिहा होने पर आवेदक के फरार होने या जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की कोई संभावना नहीं है।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, परंतु वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

9. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री और आरोपों की प्रकृति पर विचार करने पर, यह प्रतीत होता है कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध आरोप सामान्य हैं और सह-अभियुक्तों अर्थात् अभिषेक कुमार, जंग बहादुर और पुत्ती लाल के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

समान हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत प्रदान की जा चुकी है, इस प्रकार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत प्रदान किए जाने का वाद बनाया है।

10. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

11. आवेदक **विजय उर्फ दुर्गेश उर्फ भुल्लू** को उपर्युक्त अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी(साक्षियों) पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(vi) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

(vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो आवेदक साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(viii) आवेदक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

12. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर विधि के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. चूंकि यह आदेश आवेदक को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31 मार्च, 2026

दिव्या

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।